9.7.25

पत्रावली पेश किए वादी / वकील वादी अनुपस्थित बार-बार आवाज लगाई कोई भी उपस्थित नहीं हुआ पुनः दोपहर बाद फिर से आवाज लगाई गई कोई भी उपस्थित नहीं हुआ अतः वाद वादी अपस्थैरवी, अपस्थ होकर खारिज किया जाता है। पत्रावली नकल से अस्थ हो बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर होवे।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर